कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2016 / 3391 लखनऊःदिनांकः 28 नवम्बर 2016

सी0पी0ए0टी0 2016 के अन्तर्गत रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु मॉपअप राउण्ड के संबंध में अति आवश्यक संशोधित सूचना

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–एम0ई0–3 / 2016 / 3339 दिनांक 25 नवम्बर 2016 द्वारा सी0पी0ए0टी0 2016 की प्रथम / द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्रों के प्रवेश न लेने, त्यागपत्र देने अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त सीटों पर मॉपअप राउण्ड के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें सी0पी0ए0टी0 2016 की प्रथम / द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त (प्रवेषित / अप्रवेषित / त्यागपत्र दे चुके) अभ्यर्थियों के अर्ह न होने की सूचना प्रकाशित की गई थी।

दिनांक 28 नवम्बर 2016 को पंजीकरण हेतु उपस्थित कतिपय ऐसे छात्र, जिन्हे सी0पी0ए0टी0 2016 की प्रथम / द्वितीय चक्र की काउंसिलिग के माध्यम से आवंटन प्राप्त हुआ था, तथा किन्ही कारणों से उनका प्रवेश नहीं हो पाया है, द्वारा उन्हे मॉपअप राउण्ड के आवंटन में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में सी0पी0ए0टी0 2016 के काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा इन छात्रों को मॉपअप राउण्ड के आवंटन में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे छात्रों को काउंसिलिंग शुल्क रू0 500 / – तथा सिक्योरिटी धनराशि रू0 20,000 / – (निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु) पुनः जमा करना अनिवार्य होगा। इन छात्रों को सीट आवंटन के समय अपने मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

महानिदेशक